

**न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप फलोदी**

**पीताम्बीन अधिकारी - सुखाराम पिम्पले (आर.एस.)**

राजस्व प्रकरण संख्या - 96/2025

जी.सी.एस. नम्बर - 2025/192

दाखल दिनांक - 06.05.2025

निर्णय दिनांक - 13.05.2025

अशाह कुमार पुत्र तुलसीराम जाति ब्राह्म निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी

प्रार्थी

**बनाम**

1. राज बरबखान जमिंदार तहसीलदार, बाप तहसील बाप जिला फलोदी राजस्थान
2. बैलशाहचन्द्र पुत्र दुलीचन्द्र जाति राठी निवासी सावर गांव तहसील बाप जिला फलोदी
3. बन्धवाम पुत्र रतनलाल जाति राठी निवासी सावर गांव तहसील बाप जिला फलोदी
4. बन्धवल मन्नी जगदीश कुमार जाति ब्राह्म निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
5. जगदीशकुमार पुत्र तुलसीराम जाति ब्राह्म निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
6. जय श्री मन्नी रतनलाल जाति राठी निवासी सावर गांव तहसील बाप जिला फलोदी
7. ब्यातिभद्रराम पुत्र रतनलाल जाति राठी निवासी सावर गांव तहसील बाप जिला फलोदी
8. तुलसीदास पुत्र शम्भुलाल जाति ब्राह्म निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
9. दुलीचंद पुत्र माणकलाल जाति राठी निवासी सावर गांव तहसील बाप जिला फलोदी
10. लुणकरण पुत्र माणकलाल जाति माहेश्वरी निवासी सावर गांव तहसील बाप जिला फलोदी
11. सन्तोष देवी मन्नी लुणकरण जाति राठी निवासी सावर गांव तहसील बाप जिला फलोदी
12. सरोजदेवी मन्नी अशाह कुमार जाति ब्राह्म निवासी सावर गांव तहसील बाप जिला फलोदी

अप्राथी

**राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम,**

**1956**

- उपस्थित :-
1. श्री राजेन्द्रसिंह सोलंकी अधिवक्ता प्रार्थी
  2. अप्राथी वैरोकार सरकार तहसीलदार बाप
  3. श्री मोहम्मद रकीब अग्नि अप्राथी त 2 ता 12

**-: निर्णय :-**

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र भेज कर रखा है जिसका संक्षिप्त तथा निम्न प्रकार है कि प्रार्थी एवं अप्राथीगण की संयुक्त खातेदारी अधिकारी की आवासीय भूमि खसरा नम्बर 686/2685 रकबा 2.4281 हैक्टयर सरहद मौजा बाप पटवार हल्का बाप तहसील बाप जिला फलोदी में स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा चला आ रहा है। जनाबंदी व नक्सा ट्रेट संलग्न भेज है। उक्त बादग्रस्त भूमि में सोनाराम पुत्र जवाराराम के नाम से खसरा नम्बर 686/2677/3035 रकबा 15-00 बीघा अनुसार राजस्व अभिलेख में दर्ज थी। सोनाराम द्वारा उक्त भूमि कार्यालय विहित प्राधिकारी जिला कलेक्टर जोधपुर से दिनांक 19.06.2000 को कृषि से अकृषि अवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करवाई गयी थी। उक्त संपरिवर्तित आदेश के आधार पर उदक्त भूमि की कित्स राजस्व अभिलेख में आवासीय दर्ज की गयी थीक। उक्त भूमि वर्तमान में विक्रय पत्र के आधार प्रार्थी एवं अप्राथीगण संख्या 2 ता 12 के नाम से राजस्व अभिलेख में दर्ज है और मौके पर प्रार्थी एवं अप्राथीगण संख्या 2 तसा 12 अपने अपने हिस्से अनुसार काबिज है तथा उक्त भूमि का उपयोग व उपभोग करते आ रहे है। तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा उक्त भूमि के राजस्व अभिलेख जनाबंदी का आगामी चौसाला तैयार करते समय लिपकीय त्रुटि से आवासीय के स्थान पर अपनी मन भजी से

13/5/25  
सहायक कलेक्टर


औद्योगिक दर्ज कर दिया गया जबकि उक्त भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरित है। इसलिये प्रार्थी ग्राम बाप के खसरा नम्बर 686/2885 रकबा 2.4281 हैक्टेयर भूमि पर माफिक रूपान्तरण आदेश एवं पूर्वानुसार आवासीय दुरुस्त करवाने का अधिकारी है। जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 ता 12 की ओर से अधिवक्ता मोहम्मद रफीक ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 ता 12 जवाब पेश नहीं कर कथन किया कि माफिक इस्तदुआ प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे। अप्रार्थी संख्या 1 पैरोकार सरकार ने स्वयं उपस्थित होकर जवाब पेश कर जवाब में बताया कि ग्राम बाप के मूल खसरा नम्बर 686/2877/3035 रकबा 15-00 बीघा भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 686/2885 रकबा 2.4281 हैक्टेयर भूमि आवासीय प्रयोजन हेतु संपरिवर्तित की गयी थी इसी अनुसार ही प्रार्थी व अन्य खातेदारान ने आवासीय संपरिवर्तित भूमि खरीद की थी। लेकिन आगामी चौसाला बनाते समय आवासीय प्रयोजन के स्थान पर औद्योगिक प्रयोजन दर्ज कर दिया गया। उक्त भूमि में गलत रूप से दर्ज औद्योगिक प्रयोजनार्थ को पूर्वानुसार आवासीय प्रयोजन दुरुस्त किया जाना उचित है। पत्रावली बहस में रखी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुवे बताया कि प्रार्थी एवं अन्य खातेदारान के नाम से ग्राम बाप के मूल खसरा नम्बर 686/2877/3035 रकबा 15-00 बीघा भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 686/2885 रकबा 2.4281 हैक्टेयर भूमि आवासीय प्रयोजन हेतु संपरिवर्तित की गयी थी इसी अनुसार ही प्रार्थी व अन्य खातेदारान ने आवासीय संपरिवर्तित भूमि खरीद की थी। लेकिन आगामी चौसाला बनाते समय आवासीय प्रयोजन के स्थान पर औद्योगिक प्रयोजन दर्ज कर दिया गया। इसलिये प्रार्थी ग्राम बाप पटवार क्षेत्र बाप तहसील बाप के खेत खसरा नम्बर 686/2885 रकबा 2.4281 हैक्टेयर भूमि पर माफिक रूपान्तरण आदेश एवं पूर्वानुसार आवासीय दुरुस्त करवाने का अधिकारी है।

अप्रार्थी संख्या 1 पैरोकार सरकार ने भी उपस्थित हो कर बताया की ग्राम बाप के मूल खसरा नम्बर 686/2877/3035 रकबा 15-00 बीघा भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 686/2885 रकबा 2.4281 हैक्टेयर भूमि आवासीय प्रयोजन हेतु संपरिवर्तित की गयी थी इसी अनुसार ही प्रार्थी व अन्य खातेदारान ने आवासीय संपरिवर्तित भूमि खरीद की थी। लेकिन आगामी चौसाला बनाते समय आवासीय प्रयोजन के स्थान पर औद्योगिक प्रयोजन दर्ज कर दिया गया। उक्त भूमि में गलत रूप से दर्ज औद्योगिक प्रयोजनार्थ को पूर्वानुसार आवासीय प्रयोजन दुरुस्त किया जाना उचित है।

अधिवक्ता उभय पक्ष एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया तथा उपलब्ध दस्तावेजीय साक्ष्य का अवलोकन किया गया। ग्राम बाप के मूल खसरा नम्बर 686/2877/3035 रकबा 15-00 बीघा भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 686/2885 रकबा 2.4281 हैक्टेयर भूमि आवासीय प्रयोजन हेतु संपरिवर्तित की गयी थी इसी अनुसार ही प्रार्थी व अन्य खातेदारान ने आवासीय संपरिवर्तित भूमि खरीद की थी। लेकिन आगामी चौसाला बनाते समय आवासीय प्रयोजन के स्थान पर औद्योगिक प्रयोजन दर्ज कर दिया गया जो पैरोकार सरकार के जवाब से स्पष्ट है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित होने से स्वीकार किया जाना उचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

  
सहायक कलेक्टर  
बाप (पटवार)

